सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	फाल्गुन 04, शुक्रवार, *शाके* 1945-फरवरी 23, 2024 *Phalguna 04 Friday , Saka 1945- February 23 , 2024*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

कार्यालय आबकारी आयुक्त, राजस्थान, उदयपुर

अधिसूचना

उदयपुर, फरवरी 07, 2024

संख्या F.32(B)(1)(After Policy)EX/L/2024-25-03000-part-1/561 :-राज्य सरकार की क्रमांक प.4(1)वित्त/आब/2024 दिनांक 01 फरवरी, 2024 के बिन्दु संख्या 3.7.5 के प्रावधानानुसार देशी मदिरा, भारत निर्मित विदेशी मदिरा एवं बीयर निर्गम एवं विक्रय मूल्य नियम, 1997 के नियम 3 में प्रदत्त शक्तियों के तहत वर्ष 2024-25 के लिये देशी मदिरा "केसर कस्तुरी" का न्यूनतम एवं अधिकतम फुटकर विक्रय मूल्य निम्नानुसार निर्धारण किया जाता है :-

क्र0 सं0	देशी मदिरा की किस्म	न्यूनतम फुटकर विक्रय मूल्य प्रति पव्वे (राशि रूपयों में)	अधिकतम फुटकर विक्रय मूल्य प्रति पव्वे (राशि रूपयों में)
2	5 यूपी केसर कस्तुरी (180 एमएल)	167	200

ओम कसेरा,

आबकारी आयुक्त,राजस्थान।

7354

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।